2019/00208

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री छगन सिंह पंवार पुत्र श्री मोहब्बत सिंह
जाति राजपुत
निवासी नया खेडा, आबूरोड
तहसील आबूरोड जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 33 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 3.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 15.5.2019 को संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रस्तुत शिकायत जिसमें पटवार कार्यालय सांतपुर में श्री सदाराम पुत्र वजाजी को बिना आदेश लगाये जाने की जांच पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 3.6.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि दिनांक 15.5.2019 को संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्रस्तुत शिकायत जिसमें पटवार कार्यालय सांतपुर में श्री सदाराम पुत्र वजाजी को बिना आदेश लगाये जाने की जांच पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner